

प्रेस नोट दिनांक 23.10.2020

- दिनांक 22.10.20 को वादी उ०नि० श्री दिनेश कुमार सिंह थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. राधेश्याम पुत्र भरतराम नि० साखूपुरा थाना पूराकलन्दर अयोध्या 2. नन्हे गौड़ पुत्र मोतीलाल नि० लाला का पुरवा कौशलपुरी खोजनपुर थाना को०नगर अयोध्या 3. कुँवर बहादुर पुत्र राम प्रताप नि० कुरांवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या 4. शिवम श्रीवास्तव उर्फ मन्टूलाला पुत्र त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव नि० उसरू थाना को०नगर अयोध्या सभी गिरा अभि०गण के कब्जे से चोरी की 09 अदद मोटर साइकिलें बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 706/20 धारा 41/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.10.20 को वादी उ०नि० श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० शकील पुत्र मो० सईद नि० नियावां थाना कैण्ट अयोध्या आदि 04 नफर सभी गिरा अभि०गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्ते के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकड़े जाना, मौके से मालफड़ व जामा तालाशी के 980 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 498/20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.10.20 को वादी श्री अमित द्विवेदी पुत्र ए०पी० द्विवेदी नि० रायगंज विद्या कुण्ड थाना को०अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 80 टी 8231 ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के बस को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 755/20 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.10.20 को वादी श्री राधे सिंह पुत्र शीतला सिंह नि० पुल के पूरब नयाघाट थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जनार्दन पाण्डेय पुत्र अज्ञात नि० नयाघाट थाना को०अयोध्या अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी व उसकी माँ को मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 756/20 धारा 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.10.20 को वादी उ०नि० श्री अभिनन्दन पाण्डेय थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अवधेश सिंह पुत्र रंग बहादुर नि० खिदिदरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या गिरा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 743/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.10.20 को वादी श्री वीरेन्द्र प्रताप तिवारी पुत्र कृष्ण प्रताप तिवारी नि० जीवधपुर थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 45 एफ 6966 का चालक रवीन्द्र दूबे पुत्र राम भवन दूबे नि० उधन्ना थाना भीटी अम्बेडकरनगर वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भतीजे ऋषभ की मो० सा० टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना व मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 336/20 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि 156(3)द०प्र०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.10.20 को वादी श्री राकेश पुत्र राम कुमार नि० गौरियामऊ थाना रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के चाचा को टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 428/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।